न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1 लखीमपुर खीरी

परिवाद संख्या 1480/23

मुजीबुर्रहमान बनाम नेहा आदि।

अन्तर्गत धारा- परिवाद

थाना फूलबेहड़।

जिला- लखीमपुर खीरी।

01.06.2023

वाद पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। बार बार पुकार कराने के बाद भी परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली समूह में अन्तरण द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी महोदय के आदेश के अनुक्रम में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है जिसकी सूचना अधिवक्ता संघ को प्रेषित है। विगत कई तिथियों से परिवादी उपस्थित नही आ रहा है। समय लगभग अपराह्न 03.00 पी०एम० हो चुका है। परिवादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। वाद पत्रावली साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा परिवादी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० अंकित कराए जाने हेतु कई बार अवसर प्रदान किए जा चुके है किन्तु परिवादी द्वारा आज तक साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० अंकित नही कराया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में दाखिल समस्त साक्ष्यों के परिशीलन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण को तलब किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य दाखिल नही किए गये है। अतः परिवादी का परिवाद साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवादपत्र साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० में निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1

लखीमपुर खीरी

जे०ओ०कोड- UP 2296